न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नागौर

बइजलास–सुनील कुमार (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 05/2020

प्रार्थी	अप्रार्थीगण
पूनाराम पुत्र हरजीराम जाति नायक निवासी–भवाद, तह0 व जिला नागौर।	1. शिवदानराम पुत्र नारायणराम 2. राजूराम पुत्र भीकाराम 3. बाबूलाल पुत्र भीकाराम 4. गोविन्द पुत्र भीकाराम 5. विमला पुत्री भीकाराम 6. सुनिता पुत्री भीकाराम 7. पुष्पा पुत्री भीकाराम 8. मंजू पुत्री भीकाराम 9. मुनी पुत्री भीकाराम 10. रेखा पुत्री भीकाराम उम्र 13 वर्ष नाबालिग जरिये संरक्षक भाई बाबूलाल पुत्र भीकाराम जातियान नायक निवासीगण भवाद तह0 व जिला नागौर। 11. तहसीलदार नागौर।

अधिवक्तागण :–
श्री बाबुलाल खोजा(वकील प्रार्थी)
श्री नरेन्द्र सारस्वत (वकील अप्रार्थीगण सं. 1 से 3 व 9)

आवेदन पत्र अधीन धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

::आदेश::

दिनांक :–

प्रार्थी ने आवेदन पत्र अधीन धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर इश्तदुआ की कि, प्रार्थी के खातेदारी व कब्जाकाश्त का खेत ख.नं. 480/5 रकबा 3.16 बीघा, ख.नं. 9/314 रकबा 10.04 बीघा वाके सरहद मौजा भवाद भू.अ.नि. कुमारी तहसील व जिला नागौर में स्थित हैं तथा अप्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी का खेत ख.नं. 5 रकबा 14.01 बीघा मौजा भवाद तह0 व जिला नागौर में स्थित हैं। राजस्व रेकर्ड, खतौनी व नक्शे संलग्न हैं। भवाद तहसील व जिला नागौर में स्थित है। राजस्व रेकर्ड, खतोनी, नक्शे संलग्न है।

प्रार्थी के बंट व कब्जा काश्त व खातेदारी के खेत ख.नं. 480/5 रकबा 3.16 बीघा के चिपते ही दक्षिणी तरफ अप्रार्थीगण के खातेदारी का खेत ख.नं. 5 रकबा 14.01 बीघा आया हुआ है तथा अप्रार्थीगण के खेत ख.नं. 5 के दक्षिणी माठ के पास भवाद से लूणदा जाने बाला कटाणी रास्ता आया हुआ है जो खेताय उपखण्ड क्षेत्र नागौर के अन्तर्गत आता है।

अप्रार्थीगण के खेत ख.नं. 5 के चिपते ही दक्षिणी तरफ भवाद से लूणदा जाने वाला कटाणी रास्ता आया हुआ है जिस रास्ते से फंटकर अप्रार्थीगण के खातेदारी के खेत ख.नं. 5 के पश्चिमी माठ के सहारे 2 प्रार्थी के खेत ख.न. 480/5 में व खेत ख.नं. 480/5 में प्रार्थी की बनी ढाणी में आने जाने का रास्ता रहता चला आया है जिस रास्ते को नज़री नक्शा में लाल स्याही से मार्क ए से बी दर्शाया है जिस रास्ते का प्रार्थी अपने खेत व अपने खेत में बनी ढाणी में आने जाने के लिए उपयोग व उपभोग करता आया है तथा प्रार्थी के खेत व ढ़ाणी में आने जाने के लिए व गाड़ी, ट्रैक्टर, पशुधन इत्यादि लाने व ले जाने हेतु मात्र उक्त रास्ता ही रहता चला आया है तथा इस खेत के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है जिस रास्ते को नक्शे में लाल स्याही से मार्क ए से बी से दर्शाया हुआ है लेकिन उक्त रास्ता राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज नहीं होने से

अप्रार्थीगण की नियत बदल गई और आपसी मन मुटाव की वजह से प्रार्थी को तंग व परेशान करने की नियत से प्रार्थी के खेताय व ढाणी में आने जाने में बाधा उत्पन्न करने व खातेदारी के खेताय व ढाणी के उपयोग व उपभोग से वंचित रखने की गरज से उक्त रास्ते को बंद करने की धमकियां देनी शुरू कर दी और मौके पर झगड़ा टंटा करने पर उतारू हो गये तथा प्रार्थी के द्वारा समझाईश करने पर भी मानने को तैयार नहीं हुए और प्रार्थी को उक्त रास्ते से आने जाने के लिए मना कर दिया गया तथा प्रार्थी के पास अपने खेताय व ढ़ाणी में आने जाने के लिए कोई नजदीकी रास्ता नहीं है तथा प्रार्थी को रास्ते के अभाव में अपने खातेदारी के खेत व ढाणी के उपयोग व उपभोग से वंचित रहने की पूर्ण संभावना है तथा अप्रार्थीगण ने उक्त रास्ते का उपयोग – उपभोग करने से व रेकर्ड में इन्द्राज करवाने से स्पष्ट रूप से इन्कार कर दिया गया जिससे प्रार्थी के पास अन्य कोई विकल्प नहीं होने से यह आवेदन पत्र पेश करना आवश्यक व लाजमी हुआ है।

प्रार्थी के खातेदारी के खेताय ख.नं. 480/5 व ढ़ाणी में आने जाने के लिए सबसे सुगम नजदीकी, सरल व सीधा उक्त रास्ता ही है इसके अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है उक्त रास्ते का उपयोग प्रार्थी काफी लम्बे समय से करता आया है लेकिन उक्त रास्ता राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज नहीं होने से अप्रार्थीगण की नियत खराब हो जाने से प्रार्थी के आवागमन में बाधा उत्पन्न करने और रास्ते का उपयोग उपभोग करने से मना कर रह हैं, बन्द करने की धमकियां दे रहे हैं तथा उक्त रास्ते को लेकर वाद विवाद होने की पूर्ण संभावना है। ऐसी स्थिति में उक्त रास्ते को राजस्व रेकर्ड में घोषित करवाना आवश्यक व न्यायोचित है।

प्रार्थी व अप्रार्थीगण एक ही परिवार के सदस्यगण हैं तथा भीकाराम के जीवनकाल में उक्त रास्ते के संबंध में कोई किसी भी तरह का विवाद नहीं था तथा प्रार्थी उक्त रास्ते को बेरोक टोक उपयोग व उपभोग कर रहा था लेकिन अभी भीकाराम के देहान्त हो जाने से उसके वारीसान की नियत खराब हो जाने से आवागमन में बाधा उत्पन्न करनी व बाधा करने की धमकियां देनी शुरू कर दी है जिससे उक्त रास्ते को राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करवाना व घोषित करवाने का प्रार्थी को कानूनी रूप से अधिकार है।

प्रार्थी के खेताय ख.नं. 480/5 व ढ़ाणी में आने व जाने व काश्त करने हेतु अप्रार्थीगण के खातेदारी के खेत ख.नं. 5 में से पश्चिमी माठ के सहारे 2 कटाणी रास्ता तक जो नक्शा में लाल स्याही से मार्क ए से बी स्थान पर 20 फुट चौड़े रास्ते की प्रार्थी को अत्यन्त आवश्यकता है तथा रास्ते के अभाव में प्रार्थी को अपने खातेदारी के खेताय में व ढ़ाणी में आने जाने से व उपयोग व उपभोग करने से वंचित रहना पड़ रहा है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के खेत ख.नं. 480/5 में व ढ़ाणी में आने जाने के लिए प्रस्तावित नक्शा में लाल स्याही से दर्शित मार्क ए से बी स्थान कटाणी रास्ता तक अप्रार्थीगण के खेत ख.नं. 5 के पश्चिमी माठ के सहारे – सहारे 20 फीट चौड़ा रास्ता प्रार्थी के खेत तक घोषित कर राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करने का आदेश प्रदान करावें अन्य जो भी लाभार्थ हो प्रार्थी को फरमावें।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया एवं तहसीलदार नागौर से मौका रिपोर्ट तलब की गई।

अप्रार्थी सं. 1 से 3 व 9 की तरफ से वकील श्री नरेन्द्र सारस्वत ने दिनांक 07.08.2020 को वकालतनामा एवं दिनांक 01.04.2021 को जवाब पेश किया कि :–

ग्राम भवाद के खसरा नम्बर 480/5 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 9/314 रकबा 10 बीघा 04 बिस्वा प्रार्थी के खातेदारी की भूमि है, यह प्रार्थी स्वयं साबित करे। ग्राम भवाद के खसरा नम्बर 5 रकबा 14 बीघा 01 बिस्वा भूमि अप्रार्थीगण के खातेदारी की भूमि है। यह है कि अनुच्छेद संख्या 2 गलत हैं, अस्वीकार है।

यह है कि अनुच्छेद संख्या 3 के तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। यह गलत है कि अप्रार्थीगण के खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 5 की पश्चिमी माठ के सहारे सहारे प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 480/5 में आने जाने का रास्ता कभी रहा हो, न आज दिन ऐसा रास्ता है। प्रार्थी

ने नक्शे में अप्रार्थीगण की भूमि पर ए से बी दर्शा कर जो रास्ता बताया हैं, वैसा कोई रास्ता कभी भी मौके पर नही चला है। प्रार्थी के खेल में आने जाने का रास्ता तो खसरा नम्बर 361/14 की पूर्वी माठ के अंदर की तरफ चलता आ रहा है और इसी रास्ते से प्रार्थी आवागमन करता है। मनमुटाव होने पार्थी को तंग परेशान करने, आने जाने में बाधा उत्पन्न करने, रास्ते को बंद करने की धमकी देने, प्रार्थी की ढाणी में जाने का एकमात्र रास्ता होने और अन्य कोई रास्ता नही होने, खातेदारी की भूमि से वंचित होने वगैराह तमाम तथ्य झुठे, गलत व मिथ्या है। अप्रार्थीगण के खेत में से कभी कोई रास्ता रहा ही नही तो ऐसी स्थिति में रास्ता बंद करने की धमकी देने वगैराह का प्रश्न ही नही उठता है।

यह है कि अनुच्छेद संख्या 4 गलत होने से अस्वीकार है। यह गलत है कि प्रार्थी द्वारा बताया गया रास्ता सबसे नजदीक, सरल, सुगम रास्ता हो और इसके अलावा अन्य कोई रास्ता नही हो। उक्त रास्ते का लम्बे समय से प्रार्थी द्वारा उपयोग करने, अप्रार्थीगण की नियत खराब होने, प्रार्थी के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने, रास्ते को बंद करने वगैराह प्रार्थी के काल्पनिक और मनगढत विचार है। ऐसा कोई रास्ता कभी नही रहा हैं, इसलिए बंद करने की धमकी देने का प्रश्न ही नही उठता।

यह है कि अनुच्छेद संख्या 5 गलत हैं, अस्वीकार है। भीकाराम के जीवनकाल में कभी ऐसा रास्ता अप्रार्थीगण के खेत में से नही रहा है। बार बार प्रार्थी झुठा कथन कर रहा है। झुठे कथन को बार बार दोहराने से सत्य नहीं हो जाता।

यह है कि प्रार्थी के खेत में आने जाने का अन्य रास्ता मौके पर मौजूद है और उसी रास्ते से प्रार्थी अपने खेत खसरा नम्बर 480/5 में आता जाता हैं, जो रास्ता आज दिन मौजूद हैं, इसलिए प्रार्थी को अप्रार्थीगण के खेत मे रास्ता लेने की किसी प्रकार की आवश्यकता नही है।

वैकल्पिक रास्ते के मौजूद रहते ना रास्ता लेने का प्राथी अधिकारी नहीं है. पार्थी अपनी सुविधा के लिए अप्राचीगण के खेत में से नया रास्ता बनाना चाहता है, जिसकी अनुमति नहीं दी जा सकती।

यह है कि खसरा नम्बर 480/5 के खातेदार प्रार्थी पूनाराम अक्सर अप्रार्थीगण के खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 5 की उतरी माठ में तोड फोड करता रहता है जिसके लिए अप्रार्थीगण उसे मना करते है इसी बात से नाराज होकर प्रार्थी ने यह झुठा आवेदन अप्रार्थीगण को तंग परेशान करने के लिए पेश किया है।

यह है कि अप्रार्थीगण के खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 5 के पश्चिम दिशा में खसरा नम्बर 361/4 की भूमि आई हुई है। उस खसरे की पूर्वी माठ के अंदर चिपते चिपते खसा नम्बर 361/4 में से होकर प्रार्थी अपनी भूमि खसरा नम्बर 480/5 में आवागमन करता हैं, आज भी यह रास्ता मौके पर मौजूद है तथा लघुतम रास्ता है।

यह है कि अप्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 5 में से होकर प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 480/5 में आने जाने का कोई रास्ता कभी नही रहा है। वैकल्पिक, सुगम और लघुतम रास्ता प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 480/5 में आने जाने का रास्ता खसरा नम्बर 361 / 4 की पूर्वी माठ के अंदर माठ के सहारे सहारे से हैं, जिसे जवाब के साथ संलग्न नक्शे में क, ख चिन्ह से चिन्हित कर दिखाया जा रहा है तथा मौके की फोटो भी साथ पेश की जा रही है।

अतः जवाब पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

तहसीलदार नागौर के पत्रांक :भू.अ./251क/2023/2983 दिनांक 09.06.2023 के द्वारा मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई।

उभपक्षकारान विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई । वकील प्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि प्रार्थना पत्र प्रस्तुत के समय ख.नं. 480/5 व ख.नं. 5 की तरमीम नहीं हो रखी थी, इसलिए ख.नं. 480/5 में आने जाने हेतु ख.नं. 5 की पश्चिम माठ के सहारे–सहारे रास्ते की मांग की थी। अब उक्त खसरों की तरमीम हो चुकी हैं, जिसकी सूचना तहसीलदार नागौर से

प्राप्त मौका रिपोर्ट से प्राप्त हुई हैं। अतः मुताबिक राजस्व रेकर्ड की स्थिति अनुसार भवाद से लूणदा जाने वाले कटाणी रास्ता से ख.नं. 480/5 में आने जाने हेतु रास्ता ख.नं. 5 की पूर्व माठ के सहारे–सहारे होते हुए ख.नं. 480/5 तक 20 फुट चौड़ाई का रास्ता घोषित किया जावे। वकील अप्रार्थीगण ने दौराने बहस कथन किया कि राजस्व रेकर्ड एवं मौके की स्थिति भिन्न हैं, इसलिए प्रार्थी का आवेदन खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात एवं राज्य पक्ष जरिये तहसीलदार नागौर की मौका रिपोर्ट का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया गया तथा उभयपक्षकारान विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया जिससे यह स्पष्ट है कि प्रार्थी के खेत ख.नं. 480/5 में आने जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। प्रार्थी ने आवेदन प्रस्तुत करते वक्त ख.नं. 5 की पश्चिम माठ के सहारे–सहारे रास्ते की मांग की थी, परन्तु वर्तमान राजस्व रेकर्ड अनुसार प्रार्थी के खेत ख.नं. 480/5 में आने जाने हेतु भवाद से लूणदा जाने वाले कटाणी रास्ता से ख.नं. 5 की पूर्वी माठ के सहारे–सहारे नजदीकतम एवं सुविधाजनक रास्ता दिया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के खेत ख.नं. 480/5 वाके सरहद मौजा ग्राम भवाद तहसील व जिला नागौर में आने जाने हेतु वर्तमान राजस्व रेकर्ड अनुसार भवाद से लूणदा जाने वाले कटाणी रास्ता से अप्रार्थीगण के खेत खसरा नं. 5 में से पूर्वी माठ के सहारे–सहारे ख.नं. 480/5 तक 20 फुट चौड़ाई का कटाणी रास्ता घोषित किया जाता है। तहसीलदार नागौर को आदेशित किया जाता हैं कि घोषित किये गये रास्ते की भूमि का नाप कर रास्ते में प्रयुक्त होने वाली भूमि की संबंधित डीएलसी दर की दुगुनी राशि जमा करवाकर राजस्व रिकॉर्ड एवं नक्शा लटठा मे अमल दरामद करना सुनिश्चित करें। साथ ही रास्ते के लिये घोषित भूमि को अप्रार्थीगण की खातेदारी के खसरा में से कम की जावें तथा प्रार्थी द्वारा रास्ते के लिए जमा करवाई गई राशि नियमानुसार अप्रार्थीगण को दी जावे। तहसीलदार नागौर द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट में राजस्व रेकर्ड की वर्तमान स्थिति का नक्शा आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार नागौर को तहरीर जारी हो।

(सुनील कुमार)
उपखण्ड अधिकारी,
नागौर

आदेश आज दिनांक ..... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,
नागौर